न्यायालयः अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

उपस्थितः– श्वेता दीक्षित (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP01645)

विशेष सत्र परीक्षण सं०– 108/2019

सरकार बनाम प्रिंस।

दिनांकः– 17.05.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्त प्रिंस का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र केवल आज के लिए स्वीकृत। अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र 8 ख अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि पत्रावली में पीड़िता के आयु संबंधी प्रपत्र साबित होने से रह गये हैं, जिन्हें साबित कराया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।

विद्वान विशेष अभियोजक (पोक्सो अधिनियम) व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

अभियोजन की ओर से पीड़िता के आयु संबंधी प्रपत्र को साबित कराने हेतु ओमप्रकाश अग्रवाल कन्या इण्टर कॉलेज, बाबूगढ़, जिला हापुड़ के प्रधानाचार्य को मूल रिकॉर्ड तलब किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित है तथा लैंगिक अपराधों से संबंधित मामलों में पीड़िता की आयु ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पीड़िता के आयु संबंधी प्रपत्र सिद्ध नहीं कराये गये हैं, जिन्हें सिद्ध कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रधानाचार्य, ओमप्रकाश अग्रवाल कन्या इण्टर कॉलेज, बाबूगढ़, जिला हापुड़ को मय मूल रिकॉर्ड तलब किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है तथा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 8 ख अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 8 ख अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है। प्रधानाचार्य, ओमप्रकाश अग्रवाल कन्या इण्टर कॉलेज, बाबूगढ़, जिला हापुड़ मय मूल रिकॉर्ड नियत दिनांक हेतु तलब हो। पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य नियत दिनांक 12.06.2023 को पेश हो।

दिनांकः– 17.05.2023

(श्वेता दीक्षित)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

Digitally signed by Shweta Dixit
Date: 2023.05.20 11:20:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court